

2023/365

प्रशासन गांधी के संघ अधिनियम 2023

" प्रशासन गांधी के संघ अधिनियम- 2023 "

प्रतिवेदन पटवारी हल्का: 45

धीमानजी, राजस्व ग्राम मऊ की जमाबंदी सम्बन्ध 2014-20 के खाता संख्या 470, 278 में प्रार्थी का नाम शैलू पुत्र धाजू पुत्र/पुत्री/पत्नि धाजू जाति अहीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का वास्तविक नाम धाजू है। जिसके साक्ष्य के रूप में प्रार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र सत्य है। अतः धीमानजी, सनप्र दस्तावेजों एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शैलू पुत्र धाजू जाति अहीर दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

हस्ताक्षर पटवारी 15/6/23 P. मऊ

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त: मऊ

धीमानजी, राजस्व ग्राम मऊ की जमाबंदी सम्बन्ध 2014-20 के खाता संख्या 470, 278 में प्रार्थी का नाम शैलू पुत्र/पुत्री/पत्नि धाजू जाति अहीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सनप्र दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का मऊ एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम धाजू पुत्र/पुत्री/पत्नि धाजू जाति अहीर दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

L.R-26 16/06/2023

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

धीमानजी, राजस्व ग्राम मऊ की जमाबंदी सम्बन्ध 2014-20 = 75 के खाता संख्या 470, 278 में प्रार्थी का नाम शैलू पुत्र/पुत्री/पत्नि धाजू जाति अहीर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सनप्र दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का मऊ जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त मऊ एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शैलू पुत्र/पुत्री/पत्नि धाजू जाति अहीर दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर तहसीलदार (भू-अभिलेख) श्रीमाधोपुर

आदेश (शिविर स्थान:- मऊ दिनांक:- 16/6/2023

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का: मऊ, जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:- मऊ, जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर तथा सनप्र दस्तावेज:- आधार-कार्ड, पहचान-पत्र, राशन-कार्ड के (राजस्वान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत) राजस्व ग्राम:- मऊ के खाता संख्या:- 470, 278 में प्रार्थी का नाम शैलू पुत्र धाजू के स्थान पर शैलू पुत्र धाजू दर्ज कर दुरुस्त किया जाता है।



शिविर स्थान श्रीमानजी प्रशासन गांधी के संघ अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (श्रीमाधोपुर पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर